

राज्य शासन  
मंत्रालय  
बलाचारी भवन, बीपाल-२६१००५

क्रमांक-४३/१४३/२०१९/२०-३ तिथि, तिथि/०९/२०१९  
प्रति,

सचिव  
सी.बी.एस.ई.  
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय राज्य को सी.बी.एस.ई. नई तिल्ली से सम्बन्धित  
हेतु अनापति प्रमाण पत्र देने लागत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था- श्री तिळाधारा  
कान्डेठ हाथर सेकेपहरी रक्षा, खानीखोड़ी, ताहो बलीता, जिला भीवडौर,  
म०प्र० को सी.बी.एस.ई. नई तिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापति  
प्रमाण पत्र विभागित शर्तों के आधार पर प्रमाण दिया जाता है।

- (1) केन्द्रीय गान्धीगिरि शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित  
मिलाने के उपरान्त श्री गान्धीगिरि एवं उच्चतर  
गान्धीगिरि शालाओं की जाग्रता निवार, २०१७ में तिथे गये  
प्रावधानों वज पालन दिया जायेगा।
- (2) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ रक्षित हो चुकी हैं, उनका  
लाभ प्रदेश के छात्रों द्वारा गान्धीगिरि शिक्षा बोर्ड से  
इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में ग्र.प्र. गान्धीगिरि शिक्षा  
बोर्ड के प्रतिबिधि/अधिकारी को जागीरित किया जाये।
- (3) संस्था की प्रबंध यारिणी संगिति में ८०प्र० शासन, रक्षा शिक्षा  
विभाग वज एवं प्रतिबिधि कार्यकारिणी संगिति में राजिमालित  
करना अनियार्य होगा।
- (4) संस्था द्वारा प्रदेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा नियारित शुल्क  
यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क होने ते पालकों  
वज शोषण नहीं किया जायेगा।
- (5) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आधोजित होने वाले  
सांस्कृतिक एवं ज्ञानकूद कार्यक्रम तथा आन्य छात्र-शिक्षाकों वज  
गतियिद्यों के लिये खेल या खेल, छान्नावास भवन वजी सुविधा  
आदि आवश्यकताबुझाद उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था दी  
वचन पत्र लिखा जाये।
- (6) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों,  
विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका  
प्रदान की जायेगी।

४३

विभाग... २

- (7) निःशासन छात्रों के लिये संस्था वो ऐसा दीर्घ समय लेंगी आवश्यक होगा। संस्था निःशासन छात्रों को प्रत्येक देने से डबलगार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिक्षणात् यदि सिख पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रभाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से ब्रह्म चरने की सुविधा रहेगी। किन्तु दुकान विशेष से ब्रह्म चरने की साध्यता नहीं रहेगी।
- (9) संस्था के छात्रों को उनके विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा ही गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग विधि जाने वाले वाहनों की किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन और घटेलू एल०पी०जी० आदि जो संचालित नहीं किया जायेगा।
- (10) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम ज्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन चंओं की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा हरा संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (11) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा सम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखेगी।
- (13) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का नियंत्रण/जांच करने का अधिकार होगा।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रभाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*O.M.*  
*27.2.19*  
(के०के०द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक-५५/१४३/२०१९/२०-३ भोपाल, दिनांक २८/०२/२०१९

प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा बोर्ड, म.प्र., भोपाल।

निरन्तर... 3

//3//

- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग....., म०प्र०।
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-मंदसौर, म.प्र.।
- (5) प्राचार्य, अशासकीय संस्था- श्री विनायक कान्तेंद्र हाथर सेकेण्डरी स्कूल, बानीगोडी, लहूल दलौवा, जिला जीतसौर, म०प्र०
- (6) फोल्डर प्रति।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघोषित।



उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग